B.A.(Education),Part-1,Paper-ll,
Presented by Dr.Pallavi,
Topic-
Indian University Commission, 1902.

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902(Indian University Commission, 1902)

1898 ई०मै भारत के लार्ड कर्ज गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप मे आया । यह कहा जाता हे कि उसने लार्ड डलहौजी के गुण थे। डलहौजी भारतवासियों को लिए सहज नहीं था। लाई कर्जन भी भारतीयों के प्रति समरूप नहीं था । इतना अवश्य था कि भारतीयों के मस्तिष्क में जो प्रान्तियाँ थीं, उन्हें वह दूर करना चाहता था । वह शिक्षा में सुधार भी करना चाहता था।

कर्जन का विश्वास था कि एशिया के लोगों का उद्धार पाश्चात्य ज्ञान, सभ्यता तथा संस्कृति में ही हो सकता है। कर्जन कुशाल प्रशासक, प्रकाण्ड विद्वान, महान कूटनीतिज्ञ तथा पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का उपासक था। इस दृष्टि में उसने 1901 में शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया। यह सम्मेलन 15 दिन चला। इस सम्मेलन में एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण भारतोयो के मन में इस सम्मेलन के प्रति शंकायें उत्पन्न होने लगी थी। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पास किये गये थे।

लाई कर्जन शिक्षा सुधार लिए समर्पित था। उसने लिखा है- 'जब में भारत में आया, शिक्षा सुधार का प्रश्न मेरे सम्मुख था। प्रशासकीय पुनर्रचना के लिए शिक्षा सुधार एक प्रमुख कार्यक्रम था।

शिमला सम्मेलन में शिक्षा के प्रत्येक पक्ष पर विचार किया गया तथा उससे सम्बन्धित समस्या का विश्लेषण किया गया। परन्तु भारतीयों के मन में भी अभी आशंका थी। कर्जन लिखा है- भारतीयों को यह निश्चय हो गया कि यह सम्मेलन भारतीयों को यातना देनेबाली सभा थी। उनके विरुध किसी घडयंत्र की रचना की गयी थी।

शिमला शिक्षा आयोग

शिमला सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पास किये गये इन प्रस्ताव के आधार पर ताई कर्जन ने शिक्षा नीति को योजना इस प्रकार थी-

1.ब्रिटिश सरकार पहले की भांति शिक्षा से अलग नहीं होगा । शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और वह सदैव भारतीय शिक्षा का संचालन करती रहेगी।

2. देशी विद्यालयों के लिए आदर्श स्वरूप तथा स्थान पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना करतो रहेगी।

3. केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति का निर्धारण तथा संचालन किया जायेगा।

4 सरकार शिक्षा पर अधिक धन खर्च करेगी।

इस मध्य लार्ड कर्जन में यह भी अनुभव किया कि भारतीयों को विश्वास में लिए बिना भारत में शिक्षा की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकती है ।
इसलिए उसने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन लाई रिले (Lord Railey) की अध्यक्षता में किया। इस आयोग में 9 सदस्य थे जिनमें से एक हिन्दू तथा मुसलमान सदस्य था। यह आयोग 27 जनवरी 1902

को घोषित हुआ। कर्जन भारतीय विश्वविद्यालयों को कार्यप्रणाली को तीव्र आलोचना की। उसने विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बताया कि आदर्श विश्वविद्यालय के दो पहलू होने चाहिए। उसे ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए और उसे मानवीय कारखाना होना चाहिए, जहाँ चरित्र का निर्माण अनुभव रूपी अग्निशाला में किया जाये और उसको सत्य की कसौटी पर कसा जाए।

आयोग का कार्य-क्षेत्र

आयोग का कार्य क्षेत्र या उसके जाँच के विषय इस प्रकार थे- "ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों को दशा और उनकी भाबी उन्नति की जाँच करना, उतके संगठन और कार्य-प्रणाली पर विचार करना और उनको सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना; और गवर्नर जनरल को ऐसे सुझान देना चिनसे विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ सकें और ज्ञान की उन्नति हो सकें ।

आयोग ने उपरोक्त कार्य क्षेत्र का व्यापक अध्ययन किया। समी विश्वविद्यालयों के तत्कालीन आधार, अधिनियम तथा नियमों की जांच की। तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। सम्बद्ध मशामित्तयों को स्थिति का अध्ययन कर उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सुपाय दिये .।
1.विश्वविद्यालय-संबंधी सामान्य सुझाव

आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित सामान्य सझाव दिये-

1. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना न की जाये।

2. तत्कालीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

3. विश्वविद्यालय द्वारा अपने पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को उचित व्यवस्था की जाए।

4. प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने अध्यापकों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाये।

2, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन

भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर किया गया था। 1898 में लन्दन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन चार सिद्धांतों के आधार पर किया गया था।

1. विश्वविद्यालय का परीक्षा लेने के साथ-साय शिक्षा का भौ कार्य करना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी कॉलेज को अपने सब अधिकारों के उपभोग की आज्ञा उस समय तक नहीं मिलनी चाहिए, जब तक उसमें योग्य अध्यापक और पूर्ण साज-सज्जा न हो।

3 विश्वविद्यालय के प्रशासन से शिक्षकों का घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए ।

4. विश्वविद्यालय की सीनेट (Senate) आवश्यकता से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए ।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने लन्दन विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन के लिए ये सुझाव दिये-

1.भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उस समय यह कार्य सम्बद्ध कॉलेजों में किया जाता था । भारतीय परिस्थितियाँ 'ऐसे नहीं हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को 'शिक्षण विश्वविद्यालय (Teaching University) में बदल दिया जाये। अत: स्नातक-पूर्व
(Under-graduate) शिक्षण का कार्य सम्बद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर(Post-graduate) शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालयों में किया जाये।

2. विश्वविद्यालयों द्वारा अपने शिक्षण-कार्य के लिए अध्यापकों को निपुक्ति और पुस्तकातया प्रयोगशालाओं आदि को व्यवस्था को जाये।

3, सीनेट के सदस्यों को संगमा कम कर दी जाये और उनकी अवधि 5 वर्ष को रखी जाये।

4. सीनेट के सदस्यों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों, प्रसिद्ध विद्वानों और सरकारी अधिकारियों को स्थान दिया जाये।

5. सिंडिकेट (Syndicate) के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक रखी जाये और उसका चुनावषसीनेट के द्वारा किया जाये।

6. सिंडिकेट द्वारा इस बात का निश्चय किया जाय कि कॉलेजों में कितनी फीस ली जाये।

3. मान्यता प्राप्त और सम्बद्ध कॉलेज

उस समय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा देने के लिए कतिपय आधारों पर मान्यता देते थे। आयोग ने महाविद्यालयों को मान्यता देने के लिए इस प्रकार सुझाम दिये-

1. कॉलेजों को मान्यता देने के नियमों में कडाई की जाये।

2. द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता न दी जाये ।

3.प्रत्येक सम्बन्ध कालेज का विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से निरिक्षण किया जाये।

4. प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज का प्रत्यय एक समिति द्वारा किया जाये। इस समिति द्वारा योग्य अध्यापकों की नियुक्ति और भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आवास आदि की उचित व्यवस्था की जाणे ।

5. किसी भी कॉलेज को व्यक्तिगत रूप में परीक्षा सोने और उपाधियों देने का अधिकार न दिया जाये।

4. पाठ्यक्रम और परीक्षा

आयोग की धारणा थी कि पाठ्यकर्म का स्तर ऊँचा होना चाहिए । पाठ्यक्रम में सुधार के लिए
आयोग के सुझाव इस प्रकार थे-

1. मैट्रिकुलेशन और स्नातक परीक्षाओं के तारों को ऊँचा उठाया जाये ।

2. प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) को लिए अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तके न रखो जाये, क्योंकि इनसे पात्रों में रटने की आदत पड़ती है।

3. बी.ए. का कोर्स तीन वर्ष का कर दिया जाए और इण्टर कक्षाओं को तोड दिया जाये।

4: अंग्रेजी के साथ-साथ एम.ए. कोर्स में किसी भारतीय या शास्त्रीय (Classical) भाषा को भी रखा जाए।

5, इंटरमीडिएट, बी०ए० और बी०एस-सी की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए किसी व्यक्तिगत विद्यार्थी को आज्ञा न दी जाये। पर यदि उसे सीनेट से आज्ञा मिल जाये, तो वह परीक्षा दे सकता है।

5. भारतीय भाषाओं का अध्ययन

यह तो सर्व विदित है कि अंग्रेजों की कथनी तथा करनी में अन्तर रहा है। इसलिए शिक्षा के माध्यम तथा अध्ययन के रूप भारतीय भाषाओं की अवहेलना की गयी ।

केवल मद्रास विश्वविद्यालय सब परीक्षाओं में शास्त्रीय भाषा के बजाय कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा लेने की आज्ञा देता था। बम्बई विश्वविद्यालय किसी परीक्षा मे भारतीय भाषा स्थान नहीं देता था । भारतीय शिक्षा आयोग मद्रास विश्वविद्यालय की प्रशंसा नहीं की, इसके विपरीत, उसने बम्बई विश्वविद्यालय उदाहरण का अनुकरण करने सुझाव देते हुए निम्नांकित सिफारिशें की-

1 . छात्रों को शास्त्रीय भाषाओं (Classical Languages) के बजाय आधुनिक भारतीय का अध्ययन करने की आज्ञा देना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य बहुत शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन से ही भारतीय भाषाओं प्रगति हो सकती है।
2.शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन से ही भारतीय भाषाओं की प्रगति हो सकती है ।

3.प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) ऊपर किसी भी परीक्षा के लिए शास्त्रीय भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं के अध्ययन की आजा नहीं जानी चाहिए।
4.एम०ए० में भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया सकता है।

5. बी०ए०के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषा-रचना (Vernacular Composition) अनिवार्य कर जाये पर इस विषय को पढाये जाने आवश्यकता नहीं है।

6. जब तक स्कूलों में भारतीय भाषाओं के शिक्षण स्तर को न दिया जाये तब तक उनका विश्वविद्यालय में पढ़ना व्यर्थ है।

6.अंग्रेजी की शिक्षा

अंग्रेजी के माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बावजूद आयोग ने अंग्रेजी की शिक्षा के प्रति निराशा व्यक्त की। उसने कहा- 'मैट्रीकुलेशन पास करने के बाद जब छात्र कॉलेजों में जाते हैं, तब वे अंग्रेजी व्याख्यानों को नहीं समझ पाते हैं। कुछ छात्र तो कुछ समय के बाद अंग्रेजी समझने लगते हैं, पर अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं, जो विश्वविद्यालय की सारी पढ़ाई समाप्त करने के बाद भी न तो अंग्रेजो लिख सकते हैं और न बोल सकते हैं। जो छात्र अंग्रेजी अच्छी तरह लिख और बोल देते हैं, उनका उच्चारण बहुत खराब होता है। अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए आयोग ने ये सुझाव दिये

1. विश्वविद्यालयों में अच्छी अंग्रेजी जानने वाले छात्र भी हो सकते हैं, जब स्कूलों में अग्रेजी को शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था की जाये।

2.स्कूलों में छात्रों को उस समय तक अंग्रेजी का अध्ययन करने की आज्ञ न दी जाये, जब तक वे यह न समझने लगे कि अंग्रेजी में क्या पढ़ाया जा रहा है।

3. स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए केवल उन अध्यापकों की नियुक्ति की जाये, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो। जिन शिक्षकों को मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, उनको प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये । उनको सर्टिफिकेट देने से पहले किसी अंग्रेजी द्वारा अंग्रेजी बोलने और उच्चारण में
उनकी परीक्षा ली जाये।

आयोग का मूल्यांकन

आयोग को सिफारिशों के अनुसार उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों की संरचना तथा कार्य प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए । आयोग को सिफारिशों के अनुसार उसाच शिक्षा में में सुधार हुए

1. विश्वविद्यालयों के लिए समुचित आर्थिक सहायता ।

2.उच्च शिक्षा के विकास योजनाओं का संचालन ।

3. केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय के प्रति आदि से अवगत कराना।

4. परीक्षा, शिक्षा तथा अनुसंधान के मापदंड निर्धारित करना।

5. विश्वविद्यालयों का उन्नयन तथा विशिष्ट संस्थानों को स्थापना, शैक्षिक पर्यटन छात्रवृत्ति आदि आरम्भ करना।

6. शिक्षकों के वेतनमान में सुधार ।

आयोग का प्रयास रहा है कि वे इन समस्याओं को हल कर उच्च शिक्षा का विकास करें।

8.7.1 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 (Indian University Act 1904)

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को सिफारिशों के अनुसार लार्ड कर्जन ने 1904 में एक अधिनियम पारित कराया जिसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा जाता है। इस अधिनियम के विषय में नुरूल्लाह तथा नायक ने कहा है- 'आयोग के प्रतिवेदन और उस पर आधारित 1904 के अधिनियम या उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली का मौखिक पुनर्गठन करना नहीं था। उन्होंने विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध करने की प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करने तथा शक्तिशाली बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया।

इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र, प्रशासन पाठ्यक्रम आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये जो इस प्रकार हैं

1. विश्वविद्यालय की साधारण सभा (सीनेट) में कम से कम 50 और अधिकतम 100 सदस्य होगें ।

2. सीनेट का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

3. सीनेट को कानूनी मान्यता होगी तथा इसमें शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व होगा।

4. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह सीनेट द्वारा पारित नियमों में संशोधन कर सके।

5. कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में 20-20 तथा पंजाब एवं इलाहाबाद में 15 15 अभिसदस्य (फैलो) होंगे।

6. किसी भी विश्वविद्यालय की सीमा (Jurisdiction) निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल का होगा।

7. विश्वविद्यालय शोध एवं उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे। भवन, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा । विश्वविद्यालय शिक्षकों को नियुक्ति कर सकेंगे ।

8. किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता सम्बन्धी नियम अत्यन्त कठोर होंगे तथा उनका पालन भी कठोरता से किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 प्रस्ताव में एक प्रशासनिक नियमावली थी। इस शिक्षा अधिनियम का प्रयोग इस प्रकार उच्च शिक्षा पर पडा-

1.सीनेट में भारतीय शिक्षा विदो तथा प्राध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलने से उच्च शिक्षा में भारतीय असंतोष कम हुआ।

2. विश्वविद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर सुधार होने में कार्य में गति आने लगी ।

3. कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षा लेने के साथ-साथ शिक्षक कार्य भी आरम्भ होने लगा।

4. सम्बद्धता सम्बन्धी नियमों के कटार होने से महाविद्यालय का स्तन कचा उठ गया।

5. सम्बद्ध महाविद्यालयों का निर्माण होने से उनके स्तर में वाछित सुधार होने लगा।

इस अधिनियम में शिक्षा स्तर ऊंचा उठा परन्तु इसका कठोरता के कारण कतिपय हानियाँ भी हुई-

1.सरकारी नियंत्रण होने के कारण विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता पर आघात पहुंचा।

2. इस अधिनियम में नये विश्वविद्यालय खोलने को कोई व्यवस्था न थी । अतः नया विश्वविद्यालय नही खुल सका ।

3. सम्बद्धता सम्बन्धी नियम कठोर होने के कारण नये महाविद्यालयों को संख्या में वृद्धि न हो सकी।

4. इस अधिनियम में परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया तथा प्रणाली पर विचार नहीं हो सका।

निष्कर्षतः काटा जा सकता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों की दक्षता । सम्बन्धित महाविद्यालयों के स्तर को उल्टा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

8.8 सारांश (Summary)

भारत सरकार में । अप्रैल 2010 से देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इस दिशा में सर्वप्रम प्रयास बड़ौदा नरेश सायाजीराव गायकवाह के द्वारा किया गया या। जिससे प्रभावित होकर ही गोपाल कृष्ण गोखले ने आज से करीब एक सौ वर्ष पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बती से यह माँग की धी कि भारतीय बच्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाये । शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है

सन् 1902 में श्री रेले की अध्यक्षता में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को सिफारिशों के आधार पर सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य का प्रावधान करके उनके कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर दिया तथा सोनंट के आधार में कमी करके उन प्रबंध करने योग्य बना दिया। विश्वविद्यालयों पर शासन का नियंत्रण बढ़ा दिया तथा महाविद्यालयों के सम्बन्ध के नियमों को कोर बना दिया गया। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालय को दक्षता बसम्बन्धित महाविद्यालयों के स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

8.9 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए किये गये प्रयासों की चर्चा कों। (Discuss the efforts of compulsory primary education in India?)

2. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में गोखले द्वारा किये गये प्रयासों की विवेचना कीजिए।

(Explain the Gokhale's efforts in the pace of compulsory Primary education.)

3. स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा के विकास का वर्णन करें।

(Describe the development of compulsory education in Independent India.)